

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थिति:- राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं०-282/2026
उत्पाद थाना कांड सं०-108/26
बिहार राज्य बनाम् श्रवण रविदास।

श्रवण रविदास, पे०-स्व० बैधु रविदास, उम्र लगभग-35 वर्ष।
साकिन-रमजानपुर, थाना-बरबीघा, जिला-शेखपुरा।

.....आवेदक।

वनाम

बिहार सरकार विपक्षी।

आवेदक की ओर से-श्री सुरज कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से- श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

आ दे श

17.03.2026 काराधीन अभियुक्त श्रवण रविदास की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 07.03.2026 से काराधीन है। उत्पाद थाना कांड संख्या-109/2026 के अंतर्गत धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतः निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा पूर्व में नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में इस केस के अलावे अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो कि आवेदक के विरुद्ध लागू नहीं होता है। आवेदक के विरुद्ध लगाये गये आरोप मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद है। आवेदक को सूचक के द्वारा काल्पनिक, मनगढ़ंत घटना स्थल एवं बरामदगी स्थल दर्शाकर झूठा फंसाया गया है। आवेदक संध्या अपने घर में मजदूरी करके अपने घर पर आराम कर रहे थे इसी क्रम में पुलिस को जिस व्यक्ति की सूचना मिली थी वह व्यक्ति नहीं मिलने पर अपना कोरम पूरा करने के लिए आवेदक को पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया गया। आवेदक को उक्त शराब से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई संबंध है। किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के ख्याल से उक्त आवेदक को पकड़ लिया गया, जो पुलिसिया रोब का प्रतिफल है। आवेदक शांति पूर्ण एवं कानून को मानने वाला सीधा साधा व्यक्ति है। आवेदक को श्रीमान के द्वारा जमानत की सुविधा दी जाती है तो इसके फरार होने की संभावना नहीं है एवं उचित राशि का बंध पत्र देने को तैयार है। आवेदक दिनांक 07.03.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थिति:- राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं०-282/2026
उत्पाद थाना कांड सं०-108/26
बिहार राज्य बनाम् श्रवण रविदास।

लगातार

17.03.2026

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया है कि उक्त अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला है कि उत्पाद थाना दिनांक 06.03.2026 को समय करीब 06:00PM बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि बरबीघा थाना अंतर्गत रमजानपुर गॉव में सदन चौधरी के आटा चक्की मील के पीछे श्रवण रविदास, पिता-स्व0 बैधु रविदास के द्वारा चुलाई शराब का कारोबार किया जाता है। ससमय छापामारी करने पर उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है तथा शराब की बरामदगी हो सकती है। सूचना को सत्यापित करने हेतु वरीय पदाधिकारी से अवगत कराया, जिन्होंने मेरे नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया, जिसमें म0नि0 सिपाही, गृहरक्षक सिपाही तथा सैप बल के जवानों को शामिल कर समय करीब 06:55PM बजे बरबीघा थाना अंतर्गत रमजानपुर गॉव में सदन चौधरी के आटा चक्की मील के पास पहुंचा। ज्यों ही उसकी नजर छापामारी दल पर पड़ी, तो उक्त व्यक्ति ने भागने का प्रयास करने लगा, तो शक के आधार पर छापामारी दल में शामिल गृहरक्षक के द्वारा दौड़कर सदन चौधरी के आटा-चक्की मील के पास ही पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से अपना नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम श्रवण रविदास, पे0-स्व0 बैधु रविदास, उम्र लगभग-35 वर्ष, साकिन-रमजानपुर, थाना-बरबीघा, जिला-शेखपुरा बताया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए उक्त व्यक्ति का तलाशी लिया गया, तलाशी के क्रम में श्रवण रविदास के कमर में लपेटे हुए ब्लू रंग के लूंगी में 250ml का 04 पाउच चुलाई शराब मिला। कुल चुलाई शराब की मात्रा- 250ml X 04 = 01.000 बरामद व जप्त किया गया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए बरामद प्रदर्श को जप्ती सूची तैयार कर जप्त किया गया एवं गिरफ्तारी मेमो बनाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। अभियुक्त इस वाद में दिनांक 07.03.2026 से काराधीन है। इनके विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थिति:- राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं०-282/2026
उत्पाद थाना कांड सं०-108/26
बिहार राज्य बनाम् श्रवण रविदास।

लगातार

17.03.2026

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रुपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार सगे-संबंधी होंगे तथा इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि—

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
3. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 17-03-2026.

Date of Judgment/ Order	17.03.2026
Date of Reserving Judgment/Order	17.03.2026
Uploading Date	18.03.2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.